

शिक्षक व/; कि द्वा ds jkt xkj , oa0 kol kf; d i xfr ds vol j

1st MW eqs k d qj 2nd MW uj hnz l kj Lor

1st सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय जोगीपुरा, गंगोह, सहारनपुर, उ०प्र०, भारत

2nd असि० प्रोफेसर (मानदेय), भौतिकी विभाग, जे०वी० जैन डिग्री कॉलेज, सहारनपुर, उ०प्र०, भारत

Lkj k&k

शिक्षा मानव जीवन के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा के तीन ध्रुवों में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की नींव माना जाता है। देश में विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा संस्थान भावी अध्यापकों को तैयार कर रहे हैं। निजीकरण के कारण बड़े पैमाने पर निजी अध्यापक शिक्षक संस्थान प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भावी अध्यापकों को तैयार कर रहे हैं। रोजगार की उपलब्ध संख्या तथा भावी अध्यापकों की संख्या में संतुलन का अभाव है। जिस संख्या में भावी अध्यापक तैयार हो रहे हैं उस संख्या में रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं हैं। जिससे भावी अध्यापकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जिससे उनमें निराशा, हताशा, कुण्ठा तथा द्वन्द की भावना पैदा हो रही है। अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाकर, रोजगार के अवसर बढ़ाकर तथा गुणवत्ता न देने वाले संस्थानों को बन्द कर तथा निजी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता उत्पन्न कर भावी अध्यापकों के रोजगार के अवसरों तथा व्यवसायिक प्रगति के अवसरों को बढ़ाया जा सकता है।

शिक्षा मानव जीवन के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा ही भावी नागरिकों का निर्माण करती है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा देश की समृद्धि तथा प्रगति का सशक्त साधन है। शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम इसके तीन ध्रुव हैं। इन ध्रुवों में शिक्षक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिक्षण की व्यवस्था के सफल, कुशल व उद्देश्यपूर्ण संचालन के लिए कुशल एवं योग्य अध्यापकों का होना आवश्यक है। इस समय देश में शिक्षक शिक्षा के कई पाठ्यक्रम चल रहे हैं जैसे कि—

- 1— पूर्व प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाएँ— एन०टी०टी०
- 2— प्राथमिक शिक्षक संस्थाएँ— डायट पत्राचार पाठ्यक्रम
- 3— माध्यमिक शिक्षक संस्थाएँ— शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शिक्षक शिक्षा विभाग, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षा, संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान तथा पत्राचार पाठ्यक्रम आदि।
- 4— विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षक शिक्षा संस्थाएँ
- 5— विशिष्ट पाठ्य विषयों एवं क्रियाओं की प्रशिक्षण संस्थाएँ— भाषा, कला, तथा गृह विज्ञान, प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं विभाग
- 6— शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं विभाग।

सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा के दो रूप हैं— सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों की सतत शिक्षा।

सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए— पूर्ण कालीक, अल्पकालीक तथा पत्राचार पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों की सतत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी अद्यतन जानकारी देना, अद्यतन शिक्षण विधियों व कौशलों में प्रशिक्षित करना तथा नई परिस्थितियों के लिए तैयार करना।

एन०सी०टी०ई० देश में अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के लिए मानदण्ड तथा शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रम पुनर्बोधन पाठ्यक्रम, निरीक्षण, सर्वेक्षण एवं सुझाव देने का कार्य कर रही है।

एन०सी०टी०ई०आर०टी० प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रम निर्माण, सर्वेक्षण एवं सुझाव का कार्य कर रही है। दो वर्षीय एवं चार वर्षीय बी०ए० कार्यक्रम, दो वर्षीय एम०ए० तथा पी०एच०डी० कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। यू०जी०सी० द्वारा नेट परीक्षा का आयोजन उच्च शिक्षा स्तर के लिए शिक्षकों की योग्यता का चयन करने के लिए किया जा रहा है।

आज भूमण्डलीकरण व उदारीकरण के कारण शिक्षा का भी निजीकरण हुआ है। बड़ी संख्या में निजी अध्यापक शिक्षा संस्थान विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सरकारी एवं निजी संस्थानों से प्रतिवर्ष लाखों भावी अध्यापक शिक्षा पूरी कर निकलते हैं। देश में उपलब्ध रोजगार के अवसर इन संस्थानों से निकलने वाले भावी अध्यापकों की तुलना में अत्यन्त कम हैं। रोजगार के अवसरों की कमी से भावी अध्यापकों की बेरोजगारी की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। पर्याप्त रोजगार के अवसर न उपलब्ध होने से या योग्यता के अनुरूप

रोजगार, वेतन व कार्यदशाएँ न मिल सकने के कारण उच्च योग्यताधारी शिक्षक निम्न स्तर पर पढ़ाने को मजबूर हैं। पी०एच०डी०, एम०फिल, एम०ए० तथा बी०ए० योग्यताधारी अध्यापक प्राथमिक स्तर पर अध्यापन करते नजर आते हैं। सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती, बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा लोकसेवा आयोग द्वारा शैक्षणिक मैरिट या परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। इन आयोगों में ही सदस्यों की संख्या पूरी न होने, निश्चित समयबद्ध भर्ती कार्यक्रम न होने, अत्यन्त कम पदों पर भर्ती, भ्रष्टाचार, राजनैतिक प्रतिबद्धता की कमी तथा अनेक भर्तियों के न्यायालय में चले जाने तथा लम्बित रहने से शिक्षक भर्तियाँ कई-कई वर्षों तक पूरी नहीं हो पाती जबकि दूसरी तरफ प्रतिवर्ष भावी अध्यापकों की संख्या में वृद्धि होती रहती है जिससे भावी अध्यापकों में तनाव, कुण्ठा, हताशा तथा निराशा बढ़ती जाती है जिससे समाज में असंतोष का जन्म होता है जो समाज के लिए घातक है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 40 प्रतिशत तथा तकनीकी संस्थानों में 33 प्रतिशत पद रिक्त हैं। अकेले उ०प्र० में ही कई लाख, बी०ए०, टी०ई०टी० उत्तीर्ण अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, दिल्ली तथा बिहार आदि प्रदेशों में कमोवेश यही स्थिति है। अध्यापक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। निजीकरण के कारण देश में निजी अध्यापक शिक्षा संस्थानों की बेहताशा वृद्धि हुई। लेकिन ये संस्थान अपेक्षित गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा देने में असमर्थ हैं। योग्य शिक्षकों की कमी भौतिक व मानवीय संसाधनों की कमी समुचित शैक्षणिक वातावरण की कमी, पर्याप्त मोनटरिंग की कमी, प्रशिक्षण ले रहे भावी शिक्षकों की कक्षा व पाठ्यक्रम में रुचि व उपस्थिति की कमी आदि होने से गुणवत्ता में कमी आयी है। दूसरी ओर सुखद पहलू यह है कि योग्य, अनुभवी, व कौशलों में दक्ष भावी अध्यापक सरकारी व निजी क्षेत्रों में अच्छे रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। भावी अध्यापक सरकारी व निजी क्षेत्रों में अध्यापन के अलावा, ऑनलाईन टीचिंग, रिसर्च, सेमिनार व वर्कशॉप के आयोजन, होम ट्यूशन, कोचिंग सेन्टर्स में पढ़ाकर भी अध्यापन कर रहे हैं। व्यावसायिक प्रगति के लिए सेवारत अध्यापक पत्राचार पाठ्यक्रमों से एम०ए०, एम०फिल कर सकते हैं। नेट व पी०एच०डी० करके भी शैक्षणिक स्तर में प्रगति कर सकते हैं तथा अपने व्यवसाय में उच्च पदों को प्राप्त कर सकते हैं।

भावी अध्यापकों के रोजगार एवं व्यवसायिक प्रगति के अवसरों को हम बढ़ाने के लिए ऐसी नीतियाँ बनाये ताकि भावी अध्यापकों की सरकारी निर्भरता को कम किया जा सकें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाये जा सकें। गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों को संवर्धन तथा गुणवत्तापरक शिक्षा न देने वाले तथा मानदण्डों को पूरा न करने वाले संस्थाओं को बन्द कर देना चाहिए। समय-समय पर संस्थानों की मोनटरिंग ईमानदारी व पारदर्शिता से की जानी चाहिए। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केवल योग्य अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। नेक द्वारा आंकलन अनिवार्य कर देना चाहिए। ज्ञान आधारित शिक्षा के बजाय कौशल केन्द्रित शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक परामर्श केन्द्र व रोजगार कार्यालय संस्थानों में खोलने चाहिए। जिससे कि भावी अध्यापकों को रोजगार सम्बन्धी योग्यताओं, चयन मानदण्डों आदि की जानकारी समय-समय पर मिल सकें। सूचना व सम्प्रेषण तकनीकी के प्रयोग व अध्यापकों में उच्च मूल्यों के समन्वित विकास पर बल देना चाहिए। हमें इस प्रकार से भावी अध्यापकों को तैयार करना चाहिए ताकि वे सशक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

l UhZxzf l ph

- एम०एच०आर०डी० : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा विभाग, एम०एच०आर०डी० नई दिल्ली।
- एन०सी०टी०ई०आर०टी० : फोर्थ सर्व ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, एन०सी०टी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली, 1983—88
- चन्द्रैया ,के० : ओकुपेशनल स्ट्रेस इन टीचर्स, ए०पी०एच० पब्लिसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली।
- किशन, एन०आर० : ग्लोबल ट्रेण्ड्स इन टीचर एजुकेशन ए०पी०एच० पब्लिसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली—2010
- Malhotra Abhinav : <http://timesofindia.indiatimes.com/city/Kanpur/BED-course>

- लाल एवं शर्मा : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ,
आर० लाल बुक डिपो, मेरठ— 2011
- शर्मा ज्योति व
पाण्डेय रामसकल : उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक,
अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा—2012
- सिंह नरेश : कैरियर इन टिचिंग,
इम्प्लायमेन्ट न्यूज.गर्व०.इन